संख्या-286/2020/187/22-2-2018-17(99)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमीर अहमद पुत्र श्री जैनल खॉ, निवासी-जनपद-अलीगढ़ हाल जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2770/प्रोबे0-5/दयायाचिका/1221 दिनांक 22-01-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अमीर अहमद पुत्र श्री जैनल खॉ, मो0-मियां का किला, कस्बा व थाना-छर्रा, जनपद-अलीगढ़, हालपता ग्राम-कलरावाला, थाना-बिसौली जिला-बदायूँ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा एक लडकी को लेकर घटना दिनांक 01.04.2015 को 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर लडकी के बलात्कार का अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस0टी0न0 26/2005 धारा-363,366, 376, 376(2)जी आई0पी0सी0 व 3(2) 5 एस0सी0/ एस0टी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-02 बदायूँ के आदेश दिनांक 05.03.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.07.2016 तक 11 वर्ष 01 माह 28 दिन की अपरिहार सजा तथा 13 वर्ष 11 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकने, शारीरिक रूप से अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र, काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की **संस्तुति नहीं** की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी अमीर अहमद (बन्दी संख्या-44333) पुत्र श्री जैनल खॉ, निवासी-जनपद-अलीगढ़ हाल जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-286/2020/187(1)/22-2-2018 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ/अलीगढ़।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in